<u>ŒéíÂìÑ¹ìÅ ÐììíªìŠÃì ŒéÅ, „त्तर प्रदेश</u>

„ºìíØ¯ì«ì	**ÔðÂì«ìð Øìì¸ì¹ìì í®ìºìì¤ð, ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, ”É¦-2, ÐììíªìŠ Ãì ŒéÅ, „त्तर प्रदेश ।**
ºÉì¯ìð	**ØìÐìÔð »é¹Øìð ¡¹¡ Úì„Øì, 117, ”ìì¸ìð ¹ì”ìÅ, ”ììíšìÃììÀìì° ç**
ºÉì¯ì¹ìì ºì®ì Øì ‘Ãìì Ðì í°¹ììŒé	**17 / 10, 22.02.2010 (ºÉí«ìºÉí×ì«ì)**
प्रार्थी की ओर से	**Ôð ÚÅðÑì Øì˜ì°Ðìì, ˜ìì¡¦ ‡Œéì„¹¡¹¡ ç**

<u>„त्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

ØìÐìÔð »é¹Øìð ¡¹¡ Úì„Øì, 117, ”ìì¸ìð ¹ì”ìÅ, ”ììíšìÃììÀìì° द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की ¸ììÅì-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णीत करने का अनुरोध किया गया :-

1. Is an erection of Pandal or Shamianas or Tent including other accessories like carpet, sofa, chair, table, crockery etc. which is essential for services as a pandal or shamianas contractor can be treated as sale as defined in sub-section (ac) of section 2 of U.P. VAT Act, 2008 ?

2. Whether the activity of petitioner of providing service relating to tent, shamianas, pandal including other accessories is liable to tax under the provisions of U.P. VAT 2008 ?

3. Whether the activity of providing service of Tent, Pandal, Shamianas as mentioned hereinabove is beyond the purview of the U.P. VAT Act, and no tax is applicable on it ?

2. उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण आदेश दिनांक 25.09.2012 द्वारा किया गया जिसमें यह अंकित किया ”ìÃìì íŒé ÃìÚ íÀì¹° ºìÐì Âì Úð ØìÐìÔð ÌìÌìÌì šìð ‡ª¦ ØìØì, ÅìÂìÀìì”ì, ,ÌììÚìÀìì° Œé ÂììÂìÌì Âì, ¸ììÅì-59 Œé í¹ìªìÃì दिनांक 10.07.2010 से स्पष्ट किया जा चुका है और पुन: अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है ।

प्रार्थी द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध माननीय वाणिज्य कर अधिकरण में अपील दायर की गयी ç Âìì¹ì¹ìðÃì अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 05.03.2013 द्वारा वाद को गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित íŒéÃìì ç

3. फर्म की ओर से सुनवाई हेतु-Ôð ÚÅðÑì Øì˜ì°Ðìì, ˜ìì¡¦ ‡Œéì„¹¡¹¡ „ºìíØ¯ì«ì Ú‡ ç „¹ìŒé ·ìÅì ºÉì¯ì¹ìì-ºì®ì Âì „íÌÌìí‘ì«ì «ì¯Ãìì Œéì °ìÚÅì«ì Ú‡ íÌìí‘ì«ì «ìŒé °ìí‘ìÌì íŒéÃì ”ìÃì ç „¹ìŒé ·ìÅì ŒéÚì ”ìÃìì íŒé सामाजिक समारोह आदि के लिए टेन्ट / शामियाना / पण्डाल ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप मेरे लेबर्स ·ìÅì ØìÂÀìí¹¸ì«ì Ø¯ìì¹ì ºìÅ ØììÂìì¹ì Œéì Ìì šììŒéÅ Ìì”ìì í°Ãìì šìì«ìì Ú ç ,ØìŒé „ºìÁìì”ì Œé ºÉí«ì»éÌì Âì íŒéÅìÃì Œé रूप में धनराशि प्राप्त की जाती है । विवाह आदि अन्य समारोह के लिए लीज या रेन्ट पर भूमि लेकर पण्डाल Àì¹ììÃìì šìì«ìì Ú íšìØìŒéì ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उससे भुगतान प्राप्त कर के उपलब्ध करा दिया जाता है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (m) के अन्तर्गत गुड्स की परिभाषा में नहीं है और न ही इस प्रकार का संव्यवहार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) के अन्तर्गत सेल की परिभाषा में आता है । यह भी कहा कि टेन्ट / शामियाना / पण्डाल जहाँ लगाना होता है वहाँ पर स्वयं उनकी

....2

ØìÐìÔð »é¹Øìð ¡¹¡ Úì„Øì / ºÉì0 ºì® Øì0-17 / 10 (ºÉí«ìºÉí×ì«ì) / ¸ììÅì-59 / ºì×¤-2

लेबर जाकर के लगाती है और समारोह पूर्ण होने के उपरान्त स्वयं उनकी लेबर वहॉं से ºìª¦ììì „'ìì¦ ŒéÅ Œé वापस ले आती है। इस प्रकार से effective control (प्रभावी नियन्त्रण) कस्टमर के पास नहीं रहता है और यह संव्यवहार Transfer of the right to use के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 Œéð ¸ììÅì-2 (m) के अन्तर्गत इस प्रकार के संव्यवहार गुड्स में शामिल नहीं हैं।

Âìì¹ì¹ìðÃì ØìÐìì˜˜ì ¹ÃììÃììììÃì Œé í¹ìÂ¹ì 03 í¹ìªìÃì Øì¹°íÁì«ì íŒéÃì "ìÃì ü-

1. 20th Century Finance Corporation Ltd. vs. State of Maharashtra 2000 NTN (Vol.16) 425
2. Bharat Sanchar Nigam Ltd. vs. Union of India 2006 NTN (Vol.29) 307
3. State of Andhra Pradesh vs. M/s Rashtriya Ispat Nigam Ltd. 2002 NTN (Vol.20) 232

उपरोक्त के अतिरिक्त टेन्ट सर्विस को वैट की सीमा में न आने के सन्दर्भ मे í¹ìÂ¹ì 03 í¹ìªìÃì Øì¹°íÁì«ì íŒéÃì "ìÃì ü-

1. Modern Decorators Vs CTO Manikatola and any other (77 STC 114 (SC)
2. Satkar Shamiana Services Vs Sales Tax department, Delhi
3. Taluka Tent Decorators vs. Additional Commissioner (legal), Commercial Tax, Rajsthan, Jai Pur (Appeal no. 528 / 2007)

„¹ìŒé ·ìÅì ÃìÚ Áìð ŒéÚì "ìÃìì íŒé ØìÐìÔð ¡¹¡ Úì„Øì ‡ØììíØìÃìÑì¹ì, Ãì0 ºìð0, ÀìØ«ìð Œé Ðìì° Âì ºììíÅ«ì ¸ììÅì-35 Œé í¹ìªìÃì í°¹ììŒé 23.03.2000, íŠìØìŒéì Øì¹°Áì ØìÐìÔð Àì¹ìð Âìì¸ìÐì ÅØ«ìì"ìð ‡ª¦ Øì¹Øì, ìì'ì¹ì... Œé वाद में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 20.12.2011 में दिया गया है, में कहा गया है कि टेन्ट के स्वामित्व का अन्तरण ग्राहक को न होने की दशा में व्यापार कर अधिनियम की धारा-3F में कर आÅìíºì«ì ŒéÅ¹ìì íÐìí¸ì Øì"ì«ì ¹ìÚð Ú ç

ºÉì¯ìð ·ìÅì ŒéÚì "ìÃìì íŒé „¹ìŒé ·ìÅì "ÉìÚŒéì Œéì Šìì Áìð ØììÂìì¹ì-पण्डाल, शामियाना, टेन्ट या अन्य वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं उनका नियन्त्रण सदैव उनके पास रहता है और वे अपने मजदूरों से अपने निर्देशन में शामियाना, टेन्ट आदि लगवाते हैं। उपयोग कर्ता को केवल उनके उपयोग का अधिकार रहता है। प्रार्थी द्वारा कहा गया कि यह संव्यवहार सेवा की श्रेणी में आता है और सर्विस टैक्स के परिपत्र Øì'Ãìì-168 / 3 / 201-ST, दिनांक 15.04.2013 के अनुसार पण्डाल, शामियाना लगाना और उससे सम्बन्धित कार्य सेवा कर के दायरे में आते हैं। ‚Øì ºììíÅºì® Œéð ™ìÃìì ºÉí«ì Áìð °ìí'ììì Œéð "ìÃìð ç „¹ìŒé ·ìÅì M/s Ahuja Goods Agency Vs. State of U.P. and others reported in 1997 NTN (Vol.11) 484 ‡Ðì Commissioner Trade Tax U.P. vs. M/s Jamuna Prakash Jaiswal reported in 2005 NTN (Vol.28) 156 Œé 02 í¹ìªìÃì Áìð Øì¹°íÁì«ì íŒéÃì "ìÃì जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि वस्तु के उपयोग के हस्तान्तरण के लिए effective control उपयोग कर्ता का होना आवश्यक है। ये समस्त तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना-ºì® «ì°¹ìØììÅ í¹ìØ«ììरत करने का अनुरोध किया "ìÃìì ç

4. ÂìÅ ·ìÅì ÐÃììºìÅð Œé ¸ììÅì-59 Œé ºÉì¯¹ìì-ºì® Âì „íììí'ì«ì «ìŒéì, ¹ÃììíÃìŒé í¹ìªìÃìì ‡Ðì ºÉØ«ì«ì ØììäÃìì

ØìÐìÔð »é¹Øìð ¡¹¡ Úì„Øì / ºÉì0 ºì®ì Øì0-17 / 10 (ºÉí«ìºÉí×ì«ì) / ¸ììÅì-59 / ºì×¤-3

पर विचार किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राहकों के निर्देशानुसार सामान समारोह, पार्टी आदि के íÌì‡ शामियाना, पण्डाल व अस्थाई निर्माण करके किराये पर दिया जाता है । इसके साथ ही carpet, sofa, chair, table, crockery आदि अन्य वस्तुएं भी भेजी जाती हैं । यह सामान निश्चित अवधि के लिए किराये पर दिया šìì«ìì Ú ç ºÉì¯ìाँ द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं तर्कों के परिशीलन पर निम्न महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं :-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री टाटा कन्सलटेन्टी सर्विसेज बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश Œé Ðìì° Âì í¹ìªìÃì í°¹ììŒé 05.11.2004 Âì ”ì¦Øì Œéð ºìíÅÁìì×ìì Œéð ÐÃìì ‘Ãìì Œéð Ú ç Âìì¹ì¹ìðÃì ØìÐìì˜˜ì ¹ÃììÃììÌìÃì ·ìÅì ŒéÚì ”ìÃìì Ú íŒé-The test to determine whether a property is `goods', for the purposes of sales tax, is not whether the property is tangible or intangible or incorporeal. The test is whether the concerned item is capable of abstraction, consumption and use and whether it can be transmitted, transferred, delivered, stored, possessed etc. प्रार्थी द्वारा टेन्ट, कनात आदि का उपयोग करके अस्थाई निमाªì ŒéÅìÃìì जाता है । यह समस्त वस्तुयें चल सम्पत्ति है एवं हस्तान्तरणीय हैं । यह वस्तुयें स्टोर की जाती हैं एवं उपयोग कर्ता को deliver की जाती हैं । अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार ‘ goods ’ की Ôªìð Âì आती हैं ।

2. जिस अवधि में उपयोग कर्ता द्वारा माल का उपयोग किया जाता है उस अवधि में किसी अन्य को माल के उपयोग का अधिकार नहीं होता है और प्रार्थी किसी अन्य को यह अधिकार हस्तान्तरित भी नहीं कðÅ ØìŒé«ìì Ú ç ‚ØìØì Øºì×¡ Úì«ìì Ú íŒé ºÉÑ¹ì”ì«ì Âììì̀ì Exclusively „Øìð „ºìÃìì”ì Œé«ìì Œé í¹íÚ«ìì¯ì Úì«ìì Ú íšìØìØì इसका अन्तरण किया गया है ।

3. जिस अवधि में माल उपयोग कर्ता के पास होता है उस अवधि में उपयोग कर्ता उस माल को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र रहता है और उन वस्तुओं का उपयोग उपयोग कर्ता के í¹ì°Ñìì¹ìØììÅ Úð Úì«ìì Ú ç „ºìÚÅªì Œé íÌì‡-ºìª¦ììì, ÑìììíÂìÃìì¹ì Œéð Øìšììèì¡, »é¹ìð¯ìÅ Œéì Å‘ì-रखाव ओìí° उपयोग कर्ता के आदेशानुसार ही होता है ।

4. सन्दर्भित माल फ्युचर गुड्स नहीं है बल्कि प्रयोग के लिए उपलब्ध रहता है और वास्तविक रूप से ºÉÃìì”ì Œé íÌì‡ ÚØ«ìì¹«ìíÅ«ì íŒéÅìì šìì«ìì Ú ç Âìì¹ì¹ìðÃì ØìÐìì˜˜ì ¹ÃììÃììÌìÃì ·ìÅì M/s 20th Century Finance Corporation Ltd. vs. State of Maharashtra 2000 NTN (Vol.16) 425 Âì ÃìÚ Øºì×¡ ÐÃìÐìØ¯ìì ºð ”ìÃìð Ú íŒé- यदि वस्तुएं प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं तो अनुबन्ध होते ही उसके प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरित हो जातì Úç

उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर सन्दर्भित संव्यवहार Transfer of the right to use के अन्तर्गत आता है और इसके लिए प्रार्थी मूल्यवान प्रतिफल भी प्राप्त करते हैं । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) के क्लॉस-IV Âì í¹ìÂ¹ìíÌìí‘ì«ì ÑìÀ°ì Œéì ºÉÃìì”ì íŒéÃìì ”ìÃìì Ú ü-

a transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.

उपरोक्त शब्दावली से स्पष्ट है कि इसमें किसी भी वस्तु के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण

.....4

ØìÐìÔð »é¹Øìð ¡¹¡ Úì„Øì / ºÉì0 º®ì Øì0-17 / 10 (ºÉí«ìºÉí×ì«ì) / ¸ììÅì-59 / ºì×¤-4

ØìíÂÂìíÌì«ì Ú ç

माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वश्री बॉदा टेन्ट हाउस एसोसियेशन बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 एवं अन्य के वाद में निर्णय दिनांक 23.09.2003 (2006 146 STC 355 ALL) में वस्तु के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में करदेयता के समस्त प्राविधानों पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया है कि टेन्ट किराये पर देना Transfer of the right to use के अन्तर्गत करयोग्य है। सर्वश्री बॉदा टेन्ट हाउØì ‡ØìììØìÃìÑì¹ì Œé «ì¯Ãì ‡Ðì ºÉì¯ìð Œé Ðìì° Œé «ì¯Ãì ØìÂìì¹ì Ú ç

ŠìÚì «ìŒé ºÉì¯ìð ·ìÅì ºÉØ«ì«ì Âìì¹ì¹ìðÃì „˜˜ì ¹ÃììÃììÌìÃì ‡Ðì Âìì¹ì¹ìðÃì ØìÐìì˜˜ì ¹ÃììÃììÌìÃì Œé í¹ìªìÃìì Œéì ºÉÑ¹ì Ú, ÃìÚ í¹ìªìÃì ºÉì¯ìð Œé Ðìì° Œé «ì¯Ãìì ºìÅ Ììागू नहीं होते हैं। प्रार्थी द्वारा सर्विस टैक्स का परिपत्र दिनांक 15.04.2013 प्रस्तुत किया गया है जो सर्विस टैक्स के प्राविधानों से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि माननीय वाणिज्य कर आं¸ìŒéÅª ·ìÅì ØìÐìÔð Bharat Sanchar Nigam Ltd. Œé Ðìì° Âì माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न आबजर्वेशन किया गया है :-

Of all the different kinds of composite transactions the drafters of the 46th Amendment chose three specific situations, a works contract, a hire purchase contract and a catering contract to bring within the fiction of a deemed sale. Of these three, the first and third involve a kind of service and sale at the same time.

उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि टेन्ट, पण्डाÌì Ìì"ìì¹ì Ðì Œé¡íÅ"ì Âì ØìíÐìØì ‡Ðì ØìÌì °ì¹ìì Œé «ì¯Ãì निहित हैं और इसको deemed sale मानते हुए कर लगाने का अधिकार प्राप्त है।

अत: सर्विस टैक्स के परिपत्र के आधार पर कोई छूट देय नहीं है। जहॉ तक सर्वश्री ट¹¡ Úì„Øì ‡ØìììØìÃìÑì¹ì, Ãì0 ºìð0, ÀìØ«ìð Œé Ðìì° Âì ºììíÅ«ì ¸ììÅì-35 Œé í¹ìªìÃì í°¹ììŒé 23.03.2000 Œéì ºÉÑ¹ì Ú, ‚ØìŒéð Œéì‚ प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अत: इस निर्णय के तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस निर्णय के बों° Âìì¹ì¹ìðÃì „˜˜ì ¹ÃììÃììÌìÃì ¹ì ØìÐìÔð Àìì°ì ¡¹¡ Úì„Øì ‡ØìììØìÃìÑì¹ì Œé ÂììÂìÌì Âì í¹ìªìÃì °«ì Ú‡ ¡¹¡ Œé ºÉÃìì"ì Œé ÚØ«ìì¹«ìÅªì ºìÅ ŒéÅ°Ãì«ìì Âìì¹ìð Ú ç

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पण्डाल, शामियाना आ° «ì¯ìì »éí¹ìíÑì"ì Âì¡íÅÃìÌì फर्नीचर आदि किराये पर देने में वस्तु के उपयोग के हस्तान्तरण का तथ्य निहित है। अत: यह संव्यवहार ¸ììÅì-2 (ac) (IV) के अनुसार बिक्री की श्रेणी में आता है।

5. ºÉì¯ìð Œé ·ìÅì ºÉØ«ì«ì ¸ììÅì-59 Œé ºÉì¯ì¹ìì-º®ì Âì „íÌÌìí'ì«ì ºÉÑ¹ì Œéì „त्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता Ú ç

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

í°¹ììŒé 14 Šì¹ì, 2013

Ú0 / 14.06.2013

(Øìì¸ì¹ìì í®ìºìì¤ð)

‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, "É¦-2, ÐììíªìŠÃì ŒéÅ,

„त्तर प्रदेश, लखनऊ।